



# INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

## राजस्थान EO & RO

REVENUE OFFICER (2<sup>nd</sup> Grade)

& EXECUTIVE OFFICER (4<sup>th</sup> Grade)

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION



ॐ सरस्वती मया दृष्ट्वा, वीणा पुस्तक धारणीम।

हंस वाहिनी समायुक्ता मां विद्या दान करोतु मे ॐ॥

**भाग - 3**

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम - 2009, 1974 + योजनायें + राजव्यवस्था

## प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “RPSC Executive Officer / Revenue Officer” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “RPSC Executive Officer / Revenue Officer” भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : [contact@infusionnotes.com](mailto:contact@infusionnotes.com)

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp करें - <https://wa.link/klbi9k>

Online Order करें - <https://bit.ly/leo-ro-notes>

मूल्य : ₹

संस्करण :

नवीनतम

## राजस्थान नगरपालिका अधिनियम - 2009

<u>क्र.सं.</u>	<u>अध्याय</u>	<u>पेज नं.</u>
1	नगरपालिकाओं का गठन और शासन	1
2	कार्य संचालन और वार्ड समिति	2
3	नगरपालिका सम्पत्ति	3
4	नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि	18
5	नगरपालिका राजस्व	22
6	नगरीय विकास और नगर योजना	30
7	नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध	41
8	अभियोजन, वाद आदि	57
9	नियंत्रण	60
10	राजस्थान नगरपालिका (सामान का क्रय और अनुबंध नियम-1974)	64
11	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम -2009	65
12	राजस्थान नगरपालिका (समितियों की शक्तियां कर्तव्य और कृत्य नियम) 2009	67
13	<p>राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• स्वच्छ भारत मिशन शहरी</li> <li>• इंदिरा रसोई योजना</li> <li>• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)</li> <li>• इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना</li> <li>• अमृत मिशन</li> <li>• हृदय योजना</li> <li>• राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</li> </ul>	69

• इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना

	<b><u>राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था</u></b>	
1	राज्यपाल	91
2	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	98
3	राजस्थान विधानसभा	105
4	उच्च न्यायालय	114
5	जिला प्रशासन	121
6	स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था	126
7	राजस्थान लोक सेवा आयोग	135
8	राज्य मानवाधिकार आयोग	138
9	लोकायुक्त	140
10	राज्य निर्वाचन आयोग	143
11	राज्य सूचना आयोग	145
12	लोकनीति	148
13	विधिक अधिकार	150
14	नागरिक अधिकार - पत्र (घोषणा पत्र)	151
15	राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम - 2011	154

## राजस्थान नगरपालिका

### अधिनियम - 2009

#### अध्याय - 1

### नगरपालिकाओं का गठन और शासन

#### संक्षिप्त नाम, प्रसार, और प्रारंभ -

1. इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 है।
2. इसका प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।
3. यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

**परिभाषाएं :-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अपेक्षित न हो -

- (1) 'संपरीक्षक' से राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 में परिभाषित संपरीक्षक अभिप्रेत है।
- (2) पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों से भिन्न, नागरिकों के पिछड़े वर्ग अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें।
- (3) 'तुलन' पत्र से धारा -92 के अधीन तैयार किया गया तुलन पत्र अभिप्रेत है।
- (4) 'जीव -चिकित्सा अपशिष्ट' से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे संबंधित किन्हीं अनुसंधान क्रियाकलापों या जैव प्रदायकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ है।
- (5) "बजट प्राक्कलन" से धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राक्कलन अभिप्रेत है।
- (6) "बजट अनुदान" से किसी बजट प्राक्कलन के व्यय पक्ष में किसी वृहत शीर्ष के अधीन प्रविष्ट और नगरपालिका द्वारा अंगीकृत कुल राशि अभिप्रेत है और उसमें इस अधिनियम और तदधीन बनाये गए नियमों और उप - विधियों के उपबंधों के अनुसार

अन्य शीर्षों से या में अन्तर्ण द्वारा ऐसे बजट अनुदान में की गयी बढ़ोतरी या कटौती की राशि भी सम्मिलित है।

- (7) "भवन-निर्माता" या "विकासकर्ता" से ऐसा कोई अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी स्वयं की भूमि पर या किसी करार के अधीन किसी अन्य की भूमि पर कोई काम्पलेक्स सनिनिर्मित किया है,
- (8) "भवन स्थल" से भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए धारित भूमि का कोई भाग अभिप्रेत है।
- (9) **अध्यक्ष से अभिप्रेत है -**
  - (क) नगरपालिका बोर्ड के मामलों में अध्यक्ष ;
  - (ख) नगरपरिषद के मामले में सभापति ; और
  - (ग) नगरनिगम के मामले में महापौर ;
- (10) "मुख्य नगर पालिका अधिकारी" से अभिप्रेत है-
  - (क) नगर निगम के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त ;
  - (ख) नगर परिषद के मामले में आयुक्त; और
  - (ग) नगर पालिका बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी;
- (11) निगम -पार्षद से नगर निगम का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;
- (12) "पार्षद" से नगर परिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है।
- (13) "कार्यपालक समिति से" धारा 55 में निर्दिष्ट कार्यपालक समिति अभिप्रेत है ;
- (14) "वित्तीय विवरण" से धारा 92 के अधीन तैयार किया गया वित्तीय विवरण अभिप्रेत है ;
- (15) "अग्निशमन दल" से धारा 256 के अधीन नगरपालिका द्वारा स्थापित और संधारित अग्निशमन दल अभिप्रेत है।

#### नगरपालिकाओं का परिसीमन -

- (1) राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को, जो किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है, नगरपालिका घोषित कर सकेगी, या ऐसे किसी भी क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर सकेंगी या किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका से अपवर्जित कर सकेंगी या किसी भी नगरपालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकेंगी और जब -

(क) कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाये, या

(ख) कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका से अपवर्जित किया जाये, या

(ग) किसी नगरपालिका की सीमाओं को एक नगरपालिका के किसी अन्य नगरपालिका में समाहित करके या एक नगरपालिका को दो या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित करके परिवर्तित किया जाये,

(घ) कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगरपालिका न रहे।

- नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो -

**इसका अर्थ है - राज्य सरकार**

अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध कारणों से किसी नगरपालिका बोर्ड को विशेष उपबंध से छूट दी जा सकती है।

**नगरपालिका की स्थापना।**

1. संक्रमणशील क्षेत्रों में नगरपालिका बोर्ड
2. लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में, नगर परिषद
3. वृहत नगरीय क्षेत्र में नगर निगम

**Note** - नगरपालिका ऐसे क्षेत्र में गठित नहीं की जा सकती जिसे राज्यपाल औद्योगिक नगर के रूप में विनिर्दिष्ट करे।

तब राज्य सरकार इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राजपत्र में, प्रकाशित आदेश द्वारा उपबंध कर सकेगी कि -

(i) **खण्ड (क)** के अधीन आने वाले मामले में उस क्षेत्र या उसके अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 मास के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह के भीतर किया जाना चाहिए।

(ii) **खण्ड (ख)** के अधीन आने वाले किसी मामले में उन सदस्यों को, जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका में अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(iii) **खण्ड (ग)** के अधीन आने वाले किसी मामले में, ऐसी नगरपालिका जिसमें कोई अन्य नगरपालिका समाहित की गयी है, इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक, ऐसे अन्य नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगरपालिका के जिसमें ऐसी अन्य नगरपालिका समाहित की गयी है, सदस्य समझे जायेंगे और जहां कोई नगरपालिका दो या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित की गयी है।

(iv) **खण्ड (घ)** के अधीन आने वाले किसी मामले में, नगरपालिका को विघटित कर दिया जायेगा।

**धारा - 5 नगरपालिका की स्थापना और निगम :-**

(1) प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में एक नगरपालिका बोर्ड की स्थापना की जायेगी और जिसके प्रति निर्देश को नगरपालिका मानी जाती है, नगरपालिका बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकारी होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा उसके नियमित नाम से वह वाद चला सकेगी और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में एक निगम की स्थापना की जायेगी और ऐसा प्रत्येक नगर निगम उस नगर के, जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है। नगर नियम के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा उनकी सामान्य मुहर होगी तथा उसके नियमित नाम से वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

**धारा - 6 नगरपालिका की संरचना :-**

(1) उत्तरवर्ती उप - धाराओं में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, किन्तु इस उप - धारा के आगामी उपबंधों में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरे जायेंगे, ऐसे स्थानों की

### धारा (23) यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर प्रतिबंध :-

- अर्थात् नगरपालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक उम्मीदवार या उसके द्वारा अधिकृत अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों (कटआट,होर्डिंग, पोस्टर) पर प्रतिबंध।
- उल्लंघन करने पर दो हजार जुर्माना 6 वर्ष तक नगर पालिका सदस्य चुने जाने पर प्रतिबंध।
- अपराध का संज्ञान स्वयं न्यायालय द्वारा नहीं,राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शिकायत करने पर।

### 24. सदस्यों के लिए साधारण निरर्हतायें :-

- 6 माह या अधिक का कारावास हो चुका हो।
- न्यायालय में ऐसा मामला विचारधीन हो जिसमें 5 वर्ष या अधिक सजा हो सकती है।
- न्यायालय द्वारा ऐसे मामले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जिसमें नगरपालिका की संपत्ति या निधि का गबन किया हो।
- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत सजा।
- भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 के तहत आदेश।
- केंद्रीय या राज्य सेवा से हय गया हो।
- ऐसा व्यापार किया हो,जो करना वैध नहीं हो।
- कोई लाभ का पद धारण करता हो।

### धारा (25) मतदान का अधिकार :-

- वार्ड की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति को वार्ड में मत देने का अधिकार होगा।

### कौन व्यक्ति मत नहीं देगा :-

- धारा 14 में जिसको अयोग्य ठहराया गया है।
- कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मत देता है तो समस्त वार्डों के मत शून्य होंगे।
- एक ही वार्ड में एक से अधिक बार मत नहीं देगा।
- कारागार या दण्डादेश के अधीन व्यक्ति।
- कारागार वाली अयोग्यता निवारक निरोध कानून में लागू नहीं होती है

### 26. निर्वाचन में मत देने की रीति :-

- ऐसे प्रत्येक निर्वाचन में जिसमें मतदान होता है मत पत्र द्वारा ऐसी रीति से मत दिये जायेंगे जैसे विहित की जाये और कोई भी मत परोश्री के माध्यम से नहीं लिए जाएंगे। प्रत्येक निर्वाचन का एक मत होगा। यदि कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो मतों की गणना के समय उसके द्वारा दिए गए सभी मत शून्य मानकर नामंजूर कर दिए जाएंगे।
- इस अधिनियम या दंडनीय बनाये गये नियमों में किसी बात के होते हुए भी मतदान मशीनों से, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, मत देना और अभिलिखित करना किसी नगर पालिका के ऐसे वार्ड या वार्डों में अंगीकृत किया जा सकेगा, जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें।

### 27. आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी

- किसी सदस्य के पद पर समय व्यतीत हो जाने अन्यथा होने वाली आकस्मिक रिक्ति -उपनिर्वाचन से भरी जाएगी।
- आकस्मिक व्यक्ति के समय निर्वाचित सदस्य शेष कार्यकाल के लिए ही निर्वाचित।
- अगर OBC, SC,ST महिला - पद पर किसी उम्मीदवार ने पद छोड़ा है ( पद खाली है )तो उस पद पर उसी वर्ग का उम्मीदवार निर्वाचित होगा।

### 28. निर्वाचन अपराध :-

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा- 125, 126, 127, 127(क) 128, 129, 130, 131, 132, 132(क) 133, 134, 134(क) 134, (ख) 135, 135(क), 135(ख), 135(ग), 136 के उपबंध प्रभावी होंगे।

### 29. श्रष्ट आचरण :-

- रिश्त लेना या रिश्त देना
- किसी उम्मीदवार द्वारा धर्म, जाति, लिंग, आदि के आधार पर वोट मांगना।
- किसी उम्मीदवार द्वारा धर्म के आधार पर या दैवीय शक्ति के आधार पर वोट मांगना या सामाजिक बहिष्कृत की धमकी देकर वोट मांगना।
- सती प्रथा को गौरवान्वित करना अर्थात् सती के आधार पर वोट मांगना
- उम्मीदवार द्वारा राजपजित अधिकारियों, कर्मचारियों आदि को काम में लेना।

### 30. निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अविकारिता -

- किसी सिविल न्यायालयों का वार्डों परिसीमन, ऐसे वार्डों को स्थानों के आवंटन, निर्वाचक नामावलिओं की तैयारी या निर्वाचन के संचालन से संबंधित किसी भी प्रश्न के ग्रहण करने और उस पर न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता नहीं होगी।
- किसी भी नगरपालिका के किसी निर्वाचन को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गयी किसी निर्वाचन याचिका से अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

### 31. निर्वाचन याचिका

- किसी भी NP के सदस्य (नगरपालिका) के निर्वाचन को जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन की तारीख से एक मास के भीतर -भीतर चुनौती दी जा सकती है।

### 32. जिला न्यायाधीश के आदेशों की अपीलें :-

- दायर याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा किये गये प्रत्येक आदेश से अपील उच्च न्यायालय को होगी।
- उच्च न्यायालय को इस अधिनियम और तदधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन अपील के संबंध में वही शक्तियाँ, अधिकारिता तथा प्रधिकार होगा और वह उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा वह अपनी सिविल अपील अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री से अपील की दशा में करता है।
- इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस आदेश की, जिससे अपील की गयी है, तारीख से 30 दिवस की कालावधि के भीतर - भीतर की जायेगी ;

परंतु उच्च न्यायालय, 30 दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलार्थी के पास ऐसी कालावधि के भीतर - भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

- जहाँ अपील सभी या किन्हीं भी निर्वाचित उम्मीदवारों के निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध की गयी है वहाँ उच्च न्यायालय, पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर, उस आदेश जिससे अपील की गयी है, के प्रवर्तन पर रोक लगा सकेगा और ऐसी दशा में उस आदेश की बाबत यह समझा जायेगा कि वह प्रभाव में नहीं आया है।

### 33. समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त (शून्य घोषित) होने की दशा में प्रक्रिया :-

सभी सदस्यों या  $\frac{2}{3}$  सदस्यों का निर्वाचन धारा 31, 32 के तहत शून्य घोषित कर दिया जाता है तो राज्य सरकार नगरपालिका को विघटित करेगी।

### 34. आदेश और विनिश्चय की अतिथिता -

अगर अपील उच्च न्यायालय में नहीं की गई हो तो जिला न्यायाधीश का निर्णय तथा अपील HC में की गई हो तो HC का निर्णय अन्तिम होगा।

### 35. निरर्हताएँ अर्थात् अयोग्यताएँ :-

धारा - 28 निर्वाचन अपराध



## अध्याय - 3

### नगरपालिका सम्पत्ति

#### 67. संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति :-

- इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए नगरपालिका को, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के चाहे भीतर या बाहर, दान द्वारा, क्रय द्वारा या अन्यथा जंगम तथा स्थावर संपत्तियाँ या उनमें कोई हित अर्जित करने और उन्हें धारित करने की शक्ति होगी।

#### 68. संपत्ति का निहित होना :-

- समस्त निहित सार्वजनिक भूमि
- नगर या कस्बे के समस्त सार्वजनिक परकोटे, द्वारा बाजार, वधशालाएँ खाद और विष्ठा के दियो तथा प्रत्येक प्रकार के सार्वजनिक भवन जो नगरपालिका निधि से निर्मित किये गये हैं या संधारित किये जाते हैं।
- समस्त सार्वजनिक तालाब, जल- धाराएँ, जलाशय, कुण्ड, झरने, जलसेतु, नलिकाएँ, सुरंगे, पाइप और पम्प तथा समस्त पुल, भवन, इंजन, संकर्म, इनमें संबंधित या उनसे सम्बद्ध सामग्री तथा वस्तुएँ तथा किसी सार्वजनिक तालाब या कुएँ से अनुलग्न कोई पाश्चर्यस्थ भूमि भी, जो निजी संपत्ति न हों।
- किसी मार्ग में, उसके पाश्चर्यस्थ या उसके नीचे की समस्त सार्वजनिक मलनलियाँ और नलियाँ, जलसरणियाँ, सुरंगे पुलियाएँ और जलमार्ग ;
- राज्य सरकार के अधीन नगरपालिका में निहित की गयी किसी भी सरकारी भूमि को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबंधनों पर, जो राज्य सरकार अवधारित करें, समय - समय पर पुनर्ग्रहित करने के लिए सक्षम होगी।
- समस्त सार्वजनिक मार्ग और पटरियों तथा उनपर के पत्थर और अन्य सामग्री तथा ऐसे मार्गों में उपलब्ध कराये गये समस्त वृक्ष, परिनिर्माण, सामग्री, उपकरण तथा वस्तुएँ;

- सभी सार्वजनिक उद्यान और बाग जिसमें चौक और सार्वजनिक खुली जगहें सम्मिलित हैं,
- नदियों या जल - धाराओं या तालाबों पर सभी सार्वजनिक घाट
- ऐसी सरकारी भूमियां, जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर स्थित हों, या बाहर, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका में निहित करे ;
- समस्त सार्वजनिक लैंप, लैंपों के खम्भे, तथा उनसे संबंधित या उनसे सम्बद्ध उपकरण ;
- समस्त सरकारी भवन तथा समस्त निजी भूमियाँ और भवन जो उसको दान द्वारा या अन्यथा अन्तरित किये गये हैं ;
- मृत शरीरों के निर्वतन के लिए समस्त सार्वजनिक स्थान, उसको छोड़कर जो इस निमित्त किसी विशेष विधि द्वारा शासित हैं।
- सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर संग्रहित सभी ठोस अपशिष्ट, जिसमें मृत पशु और पक्षी सम्मिलित हैं, और
- सभी भटके हुये जानवर, जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के नहीं हैं।

#### 69. करार, विनियम, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा सम्पत्ति का अर्जन :-

(1) करार द्वारा -

(क) कोई स्थावर सम्पत्ति और

(ख) स्थावर सम्पत्ति को प्रभावित करने वाला कोई सुखधिकार -

#### अर्जित कर सकेगी :-

1. विनियम द्वारा कोई सम्पत्ति अर्जित कर सकेगी।
2. स्थावर सम्पत्ति भाड़े या पट्टे पर ले सकेगी

- दानदाता से ऐसा कोई अनुदान या समर्पण, चाहे वह किसी आय के रूप में हो या कोई जंगम या स्थावर संपत्ति, प्राप्त कर सकेगी।
- नगरपालिका के पूर्व और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के

अधीन सृजित किसी न्यास का हितग्राही होना विविपूर्ण होगा।

### 70. भूमि का अनिवार्य अर्जन :-

जब कोई भूमि या भूमि में अधिकार, चाहे वह नगरपालिका की सीमाओं के भीतर हो गया बहार, इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए अपेक्षित हो तो राज्य सरकार नगरपालिका के अनुरोध पर और उसकी ओर से भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के उपबंधों के अधीन उसे अर्जित करने की कार्यवाही करेगी।

### 71. कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमन आदि

- ऐसी समस्त भूमियाँ, जो राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन खातेदारों के अभिधारण अधिकारों और हित के पुनर्ग्रहण या, यथास्थिति अभ्यर्षण पर नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गई हैं।
- उपधारा (1) के अधीन वसूल किये गये प्रभार राज्य की संचित निधि और नगरपालिका की निधि में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये, जमा किये जायेंगे।

### 72. नगरपालिका संकर्मों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे संकर्मों के लिए संदाय :-

धारा 82 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका की ओर से किसी संकर्म के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति ऐसे नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार विहित करे, ऐसे संकर्म के लिए रखी गयी राशि की सीमा तक ऐसी संविदाएं कर सकेगा जो ऐसे संकर्म के निष्पादन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, और नगरपालिका इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को ऐसी राशियों का, जो उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, उपर्युक्त सीमा तक संदाय करेगी।

**73. सम्पत्ति के अन्तरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध :-** नगरपालिका जब तक इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हो, अपनी किसी जंगम स्थावर सम्पत्ति को जिसमें नगरपालिका भूमि या सरकारी

भूमि भी सम्मिलित है - पट्टे में देने, विक्रय करने, नियमित करने, समस्त संविदाएं करने में सक्षम।

- (1) ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय, नियमन, आवंटन या अंतरण और संविदा किसी नगरपालिका पर तबतक बाध्यकारी नहीं होगी, जब तक कि वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये, नियमों के उपबंधों के अनुरूप न हो :
- (2) किसी भी सरकारी भूमि के बारे में कोई भी पट्टा, विक्रय, नियमन, आवंटन या अंतरण या उसके बारे में कोई अन्य संविदा तबतक विधिमान्य नहीं होगी, जबतक कि उसकी पुष्टि विहित प्राधिकारी द्वारा, विहित रीति से और विहित शर्तों पर न कर दी जाये।

**स्पष्टीकरण -** इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "सरकारी भूमि" से ऐसी कोई भूमि अभिप्रेत है -

- (क) जो धारा 68 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन नगरपालिका में निहित हो गयी हो ;  
या
- (ख) जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 3 में यथा - परिभाषित नजूल भूमि है ;  
या
- (ग) जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी जाये ।

### सरकारी भूमि - धारा 68 की उपधारा (1)

- राज - भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा (3)
- राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के व्ययनाधीन
- राज्य सरकार इस प्रयोजन हेतु किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। जो उपर्युक्त कार्य के प्रस्ताव की वैधता या औचित्य जाँच कर सके।
- अगर यह समाधान हो जाता है कि अनियमितताएँ हुई तो आदेश देकर विखंडित कर सकी जाएगी।

### धारा - 74. स्थावर नगरपालिका सम्पत्ति की तालिका और मानचित्र :-

- नगरपालिका उन समस्त स्थावर सम्पत्तियों की जो उसमें निहित हैं या उससे संबंधित हैं या उसके द्वारा अर्जित की गयी हैं एक तालिका और मानचित्र

सृजित कोई प्रभार कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय नगरपालिका के समस्त दावों के विरुद्ध शून्य होगा।

### धारा 134-कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विकल्प:-

- जब वसूल की जाने वाली रकम को मिलाकर उसे अभिरक्षा में रखे जाने का व्यय, उसके मूल्य से अधिक हो जाने की संभावना हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में संपत्ति कुर्की के समय थी, इस आशय का नोटिस तुरंत देगा कि उसका विक्रय तुरंत किया जायेगा और तदानुसार, जब तक कि वह वारंट में बतायी गई रकम का संदाय तुरंत न किया जाये या उस रकम के बराबर प्रतिभूति ना दे दी जाये उसका विक्रय कर देगा।
- यदि उप- धारा (1)के अधीन सम्पत्ति का विक्रय तुरन्त न कर दिया गया हो तो कुर्क की गयी सम्पत्ति या उसके पर्याप्त भाग का , जब तक कि नोटिस वारण्ट, कुर्की और सम्पत्ति के निरोध के अनुषांगिक समस्त खर्चों सहित व्यतिक्रमी द्वारा देय राशि संदन्त न कर दी गयी हो , राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से , मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेशों के अधीन लाकर नीलाम द्वारा विक्रय किया जा सकेगा और आगम या उसका ऐसा भाग, जो अपेक्षित हो, देय राशि और यथापूर्वोक्त ऐसे समस्त अनुषांगिक खर्चों के उन्मोचन में उपयोजित किया जायेगा।
- अधिशेष यदि कोई हो, तुरन्त नगरपालिका निधि में जमा किया जायेगा , उसी समय ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में सम्पत्ति कुर्की के समय थी , ऐसी जमा का नोटिस दिया जायेगा किन्तु यदि इस उपधारा के अधीन दिये गये नोटिस की तारीख से एक वर्ष के भीतर- भीतर नगरपालिका को लिखित आवेदन देकर उसके लिए दावा किया जाये तो ऐसे व्यक्ति को उसका प्रतिदाय कर दिया जायेगा। ऐसी कोई राशि, जिसके लिए ऐसे नोटिस की तारीख से एक वर्ष के भीतर- भीतर कोई दावा नहीं किया गया हो, नगरपालिका की सम्पत्ति हो जायेगी।

### धारा 135- नगरपालिका के बाहर कुर्की और विक्रय :-

जहां वारंट का निष्पादन नगरपालिका के बाहर किया जाना हो वहां वारंट जारी करने वाला प्राधिकारी प्रष्ठाकन द्वारा उस अधिकारी को जिसे वारंट संबोधित किया जाए, कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय का निर्देश दे सकेगा और ऐसे मामले में ऐसे अधिकारी के लिए संपत्ति का विक्रय करना और विक्रय संबंधित समस्त अनुषांगिक क कार्य करना विधिपूर्ण होगा।

### धारा 136- उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्यवाही की जा सकेगी जो नगरपालिका छोड़ने ही वाले हो :-

- यदि नगरपालिका के पास किसी भी समय यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति NP क्षेत्र से अपने आप को हराने वाला है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी शोध्य राशि या शोध्य होने वाली राशि के लिए ऐसे व्यक्ति को बिल प्रस्तुत करवा सकेगा और उसके तुरंत संदाय की मांग कर सकेगा।
- उक्त व्यक्ति शोध्य राशि या शोध्य होने वाली राशि का तुरंत संदाय ना करें तो ऐसी रकम इसमें ममे इसके पूर्व विहित रीति से, व्यक्तिक्रमी की जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा उद्गहणीय होगी।

### 137. व्यावृत्तियाँ :-

- बिल, मांग के नोटिस, वारंट सूची या तत्संबंधी अन्य कार्यवाहियों में हुई किसी गलती, त्रुटि या प्ररूप के अभाव के कारण इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कुर्की या विक्रय विधि विरुद्ध नहीं समझा जायेगा और न ही ऐसा करने वाला व्यक्ति अतिचारी समझा जायेगा।

### 138. समस्त संदायों के लिए रसीद का दिया जाना

- इस अधिनियम के अधीन किसी कर के मध्य संदत्त सभी राशियों के लिए उस व्यक्ति द्वारा जो ऐसी रकम प्राप्त करता है रसीद निविन्दत्त की जायेगी जिसमें उस रकम और उस कर का जिसके मध्य वह संदत्त की गयी है, उल्लेख होगा।

## अध्याय - 9

### नियंत्रण

#### धारा 309 - निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियाँ :

(1) राज्य सरकार किसी अधिकारी को निदेशक स्थानीय निकाय के रूप में जो किसी भी पदनाम से हो, नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इसे इस अधिनियम या तद्विधन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन प्रत्यायोजित या प्रदत्त की जाये।

(2) राज्य सरकार इतने अन्य अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकेगी जो वह निदेशक की सहायता के लिए ठीक समझे और वे निदेशक के निदेश तथा नियंत्रण के अधीन रहेंगे।

(3) इस प्रकार नियुक्त अन्य अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे।

#### धारा 310 - निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियाँ

(क) किसी नगरपालिका या उसके नियंत्रण या प्रबंध के अधीन किसी संस्था के अधिभोग में या किसी स्थावर सम्पत्ति या उसके अधीन या उसके निदेश या नियंत्रण के अधीन चल रहे किसी कार्य के स्थल में प्रवेश तथा निरीक्षण करने या प्रवेश तथा निरीक्षण करवाने।

(ख) किसी नगरपालिका की या किसी समिति की कार्यवाहियों से किसी उदाहरण या नगरपालिका के कब्जे के या नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या पुस्तक तथा किसी विवरणी, विवरण, लेखे या रिपोर्ट जिसकी ऐसे नगरपालिका से प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना, वह उचित समझने के लिए अपेक्षा करना।

(ग) किसी नगरपालिका से ऐसी आपत्ति पर जो उसे किसी ऐसी बात के करने के संबंध में जो ऐसी नगरपालिका द्वारा की जाने वाली हो या की जा रही हो विद्यमान प्रतीत हो, या किसी ऐसी जानकारी पर जिसे वह प्रस्तुत करने में समर्थ हो और जो उसे नगरपालिका द्वारा कतिपय बातों के लिए जाने के लिए आवश्यक प्रतीत हो,

(घ) नगरपालिका के किसी मामले में राज्य सरकार द्वारा यथा निदेशित जाँच संचालित करने की और सुसंगत अभिलेख को प्रस्तुत करने की मांग करने के साथ ऐसे अभिलेख को कब्जे में लेने की जो राज्य सरकार को उसकी जाँच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना है।

ऐसे अधिकारी को जिसे उपधारा (1) के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किया जाये, दी गयी समस्त या कोई भी शक्ति उसके द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, जो उपखण्ड अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो प्रत्यायोजित की जा सकेगी।

#### धारा -311 नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति :-

राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भी नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने तथा ऐसी किसी नगरपालिका के अभिलेखों को तलब करने की शक्ति होगी।

#### धारा - 312 - नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन का निलम्बित करने की शक्ति -

(1) यदि राज्य सरकार द्वारा इसे निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत ऐसे किसी अधिकारी की राय में नगरपालिका के किसी आदेश का संकल्प का निष्पादन या किसी काम का किया जाना जो नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो, जनता को हानि या क्षोभ पहुंचा रहा है, या जिसके पहुंचाने की संभावना है या उसकी शांति भंग होती है या वह नगरपालिका के हित में अहितकार या विधि विरुद्ध है तो वह अपने हस्ताक्षर से लिखित आदेश द्वारा निष्पादन को निलम्बित कर सकेगा या उस काम के किये जाने को प्रतिबिध्य कर सकेगा।

(2) जब कोई ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन कोई आदेश करता है तो वह आदेश की एक प्रति उसके किये जाने वाले कारणों के विवरण सहित राज्य सरकार को तथा उसके प्रभावित नगरपालिका को तत्काल अग्रोषित करेगा।

किसी नगरपालिका के भीतर के हों, या बाहर के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए आवश्यक या वांछनीय है या है पूर्णतः या भागतः निर्माण करना ।

(ख) किसी ऐसे संकर्म के प्रबंध तथा अनुरक्षण के कार्य को अपने पास या उसे पूर्णतः या भागतः नगरपालिका को सौंप देना नगरपालिका से वापस लेना ।

(ग) किसी ऐसे संकर्म की पूंजी लागत तथा उसके प्रबंध तथा अनुरक्षण की लागत, उस पर ऐसी दर से ब्याज सहित, जो राज्य सरकार नियत करे , नगरपालिका निधि से या अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर या करों के आगमों से वसूल करना।

- किसी व्यक्ति का जिसकी अभिरक्षा में तत्समय, नगरपालिका की कोई ओर से कोई धन हो, यह कर्तव्य होगा कि वह पूर्ववर्ती उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन नगरपालिका द्वारा संदत्त की जाने वाली राज्य सरकार द्वारा निदिष्ट सभी रकमों का संदाय ऐसे धन से करे, जो उसके पास हो या जो समय-समय पर उसे प्राप्त हो ।

### धारा-317- नगरपालिका मामलों की सरकार द्वारा जाँच :-

(क) प्रकटीकरण तथा निरीक्षण,

(ख) साश्रियों को हाजिर कराना तथा उनके व्ययों को जमा कराने की अपेक्षा करना।

(ग) दस्तावेजों को पेश किये जाने के लिए बाह्य करना

(घ ) शपथ पर साश्रियों की परीक्षा करना,

(ङ) स्थगन देना।

(च) शपथ पत्र के लिए गये साक्ष्य को ग्रहण करना

### धारा - 318- कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति :-

धारा -319 - नगरपालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालन की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति :-

(1) जब राज्य सरकार को शिकायत द्वारा या अन्यथा सूचना मिलती है कि किसी नगरपालिका ने इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के अनुपालन में व्यतिक्रम किया है, तो राज्य सरकार सम्यक जांच करने पश्चात, यदि उसका समाधान हो जायें कि नगरपालिका अभिकथित व्यतिक्रम की दोषी है, उस कर्तव्य का अनुपालन कराने के लिए कालावधि नियत कर सकेगी।

(2) यदि नियत कालावधि के भीतर उस कर्तव्य का अनुपालन न किया जाये तो राज्य सरकार उसका अनुपालन कराने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त व्यक्ति को मुक्तियुक्त परिश्रमिक सहित, उसका अनुपालन करने के व्यय का संचय नगरपालिका द्वारा तुरंत किया जायेगा।

(3) यदि व्यय तथा परिश्रमिक का इस प्रकार संदाय ना किया जाये, तो राज्य सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में तत्समय नगरपालिका की ओर से कोई धनराशियाँ हो, ऐसी धनराशि में जो उसके पास जमा हो या समय-समय पर उसे प्राप्त हो।

### धारा- 320 नगरपालिका की स्थापना होने उसकी शक्तियों का प्रयोग :-

जब नयी नगरपालिका का सृजन किया जाये तो ऐसा अधिकारी, समिति या प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाये इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नगर पालिका की स्थापना होने तक नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन कर सकेगा। और ऐसे अधिकारी समिति प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नगरपालिका समझा जायेगा।

73. कार्यपालक समिति का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है ?

- (A) धारा 54
- (B) धारा 55
- (C) धारा 53
- (D) धारा 52

**ANS. (B)**

74. कार्यपालक समिति के अतिरिक्त अन्य समितियों में अधिनियम सदस्यों की संख्या है ?

- (A) 10
- (B) 15
- (C) 25
- (D) 5

**ANS. (A)**

75. शक्तियों कर्तव्य और कार्यों को नगरपालिका द्वारा समितियों को प्रत्यायोजित करने संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है ?

- (A) धारा 60
- (B) धारा 58
- (C) धारा 59
- (D) धारा 61

**ANS. (D)**

76. नगरपालिका के खर्चों और व्यय किसकी संचित निधि पर भारत होंगे ?

- (A) राज्य सरकार
- (B) नगरपालिका
- (C) स्वायत्त विभाग
- (D) राजस्व विभाग

**ANS. (B)**

77. सदस्य आदि सभी नगरपालिका के लोक सेवक होते हैं ये प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?

- (A) धारा 66
- (B) धारा 65
- (C) धारा 67
- (D) धारा 64

**ANS. (A)**

78. भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत सभी प्राधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे ?

- (A) धारा 20
- (B) धारा 21
- (C) धारा 23
- (D) धारा 25

**ANS. (D)**

79. 'नगरपालिका की संपत्ति' संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में कर रखा है ?

- (A) अध्याय 4
- (B) अध्याय 6
- (C) अध्याय 5
- (D) अध्याय 7

**ANS. (A)**

80. नगरपालिका की सम्पत्ति को अर्जित और धारण करने संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?

- (A) धारा 67
- (B) धारा 61
- (C) धारा 65
- (D) धारा 66

**ANS. (A)**

81. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 किससे संबंधित है ?

- (A) नगरपालिका के खर्चों से
- (B) नगरपालिका सम्पत्ति से
- (C) नगरपालिका की संपत्ति अर्जित करने से
- (D) सार्वजनिक भूमि से

**ANS. (B)**

82. निम्नलिखित में से कौन - कौन सी संपत्ति नगरपालिका में निहित होगी ?

- (A) राज्य सरकार की आरक्षित भूमि को छोड़कर
- (B) सार्वजनिक भूमि
- (C) समस्त सार्वजनिक तालाब
- (D) उपर्युक्त सभी

**ANS. (D)**

83. नगरपालिका के संपत्ति के कुप्रबंधन के चलते राज्य सरकार के द्वारा संपत्ति के पुनर्ग्रहित करने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है ?

- (A) धारा 67 (2)
- (B) धारा 68 (1)
- (C) धारा 68 (2)
- (D) धारा 69 (2)

**ANS. (C)**

84. भूमियों का अनिवार्य अर्जन का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?

- A. धारा 70
- B. धारा 71
- C. धारा 72
- D. धारा 75

**ANS. (A)**

85. सम्पत्तियों के अंतरण और संविदाओं संबंधी प्रावधानों का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?

- A. धारा 72
- B. धारा 73
- C. धारा 74
- D. धारा 75

**ANS. (B)**

86. नगरीय भूमि और सम्पत्तियों के अभिलेखों का संधारण का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?

- A. धारा 75
- B. धारा 76
- C. धारा 77
- D. धारा 78

**ANS. (A)**

87. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के अनुसार अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की पदावधि होती है ?

- A. राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त
- B. 5 वर्ष
- C. 6 वर्ष
- D. नगरपालिका की पदावधि के अनुसार

**ANS. (D)**

88. नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 के अनुसार जब नगरपालिका विघटित/निष्क्रिय हो जाये तो उसका कार्यभार निम्न में से किसे सौंपा जायेगा ?

- A. अध्यक्ष
- B. उपाध्यक्ष
- C. ऐसे सदस्य को जिसको सरकार आदेश दे
- D. नवगठित नगरपालिका को

**ANS. (D)**

89. किसी नगरपालिका के कुल सदस्य स्थान 100 है यदि इसमें 20-20 स्थान SC/ST सदस्यों के लिए आरक्षित हो तो OBC सदस्यों के लिए कितने आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया जायेगा ?

- A. 21
- B. 09
- C. 10
- D. इनमें से कोई नहीं

**ANS. (A)**

90. निर्वाचक नामावली में मिथ्या घोषणा के लिए जुर्माने का उल्लेख किस धारा में है ?

- A. धारा 14
- B. धारा 15
- C. धारा 16
- D. धारा 20

**ANS. (B)**

91. मुख्य निर्वाचन अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है ?

- A. धारा 17
- B. धारा 16
- C. धारा 18
- D. धारा 19

**ANS. (B)**

92. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका की स्थापना और निगमन का उपबन्ध किया गया है ?

- A. धारा 5
- B. धारा 6
- C. धारा 7
- D. धारा 8

**ANS. (A)**

93. अध्यक्ष से अभिप्रेत है ?

- A. नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष
- B. नगरपालिका का सभापति
- C. नगरनिगम का महापौर
- D. उपयुक्त सभी

**ANS. (D)**

94. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रवाधानों के तहत निम्न में से building में सुमेलित नहीं है ?

- A. 3 मी से ऊँची दीवार
- B. बरामदा
- C. नींव
- D. फर्श

**ANS. (A)**

95. नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न में से असुमेलित है ?

- A. धारा 45- मुख्य नगरपालिक कृत
- B. धारा 46- अन्य नगरपालिक कृत
- C. धारा 47- सरकार द्वारा देय कार्य
- D. धारा 48- मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य

**ANS. (D)**

96. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 2 की धारा 3 संबंधित है ?

- A. नगरपालिका की स्थापना व निगमन
- B. वार्डों का विभाजन
- C. नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
- D. नगरपालिका का परिशीमन

**ANS. (D)**

97. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कुल कितनी धाराएँ हैं ?

- A. 244
- B. 365
- C. 344
- D. 395

**ANS. (C)**

98. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्यक्ष हैं ?

- A. 15
- B. 17
- C. 19
- D. 21

**ANS. (B)**

99. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कब लागू हुआ ?

- A. 21 सितम्बर
- B. 15 अगस्त
- C. 11 सितम्बर
- D. 21 अगस्त

**ANS. (C)**

100. नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कौन करता है ?

- A. केंद्र सरकार
- B. राज्य सरकार
- C. नगरपालिका
- D. स्थानीय प्रशासन

**ANS. (B)**

101. नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन-सी धारा को स्वर्णिम धारा भी कहा जाता है ?

- A. धारा 69A
- B. धारा 70
- C. धारा 23
- D. उपर्युक्त सभी

**ANS. (A)**

102. परियोजनाओं के उपांतरण और प्रत्यारण संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?

- A. धारा 178
- B. धारा 179
- C. धारा 180
- D. धारा 176

**ANS. (B)**



## राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक

### व्यवस्था

### अध्याय - 1

### राज्यपाल

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 153** के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 154** के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन **अनुच्छेद 163** के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है अर्थात् राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते हैं जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।
- **राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 'कनाडा' से लिया गया है।**

**संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गईं जो निम्न हैं -**

- (i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
- (ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

**राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिश**

#### **सरकारिया आयोग**

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

#### **सिफारिश -**

- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।

- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।
- राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।

#### **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग**

वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में गठित। वर्ष 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

#### **सिफारिश -**

- इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में **कॉलेजियम व्यवस्था** होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

#### **पूछी आयोग**

गठन-2007 रिपोर्ट- 2010 अध्यक्ष- मदनमोहन पूछी

#### **सिफारिश -**

- केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु गठित पूछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया।
- राज्यपाल को किसी भी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए।
- राज्य की विधानसभा में पारीत विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह में निर्णय लेना चाहिए।

#### **राजमन्नार आयोग**

गठन-1969 रिपोर्ट- 1971 अध्यक्ष- डॉ. वी.पी. राजमन्नार

**NOTE- सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग व पूछी आयोग का सम्बन्ध राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र-राज्य संबंधों से है।**

**अनुच्छेद 156** इस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि/कार्यकाल का उल्लेख लिया गया है।

अर्थात् राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा।

- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है।
- राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।
- राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले।

- **राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है।**

### **अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद योग्यताएँ/ अर्हताएँ**

1. वह भारत का नागरिक हो।(जन्म से आवश्यक नहीं)
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. और वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य हो।

### **अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की सेवा शर्तें व वेतन भत्ते**

1. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।
2. यदि संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल का पद धारण करने की तिथि से वह पद रिक्त मान लिया जाएगा।

- राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद (संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित) करती है।
- राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से जबकि पेंशन भारत की संचित निधि में से दी जाती है।
- राज्यपाल का वेतन ₹350000 है जो कर मुक्त होता है।
- पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है।
- यदि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है (7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा) तो भी उसे वेतन। पद का होगा परंतु इसका वहन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा।

### **अनुच्छेद 159 राज्यपाल पद की शपथ**

- राज्यपाल या राज्यपाल पद के कार्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल पद की या राज्यपाल पद के कार्य निर्वहन की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है राज्यपाल संविधान के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण के शपथ लेता है।

**NOTE-** राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची- 3 में नहीं मिलता है।

### **अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन**

राज्यपाल पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य लरने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाएगी जैसे- राज्यपाल पद के खाली होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल पद का कार्यों का निर्वहन करना।

### **राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां -**

1. **कार्यपालिका संबंधी कार्य -**

- **अनुच्छेद 166** के तहत राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं अर्थात राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है।

- **अनुच्छेद 164** के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।

- **राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे-** अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता, अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। (महत्वपूर्ण यह कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त जरूर करता है लेकिन उनको उनके पद से हटा नहीं सकता। लोकसेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निरहताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। (अनुच्छेद 317)

- अनुच्छेद 217 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात करता है।
- अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य की विधायी व प्रशासनिक सूचना मुख्यमंत्री से प्राप्त करे।

- अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।

- अनुच्छेद 243 K-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 2A- नगर निकायों के लिए राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

- अनुच्छेद 243 I-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 Y- नगर निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

- राज्यपाल सभी राज्य पोषित सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों की नियुक्त करता है।

- राज्य सुचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सुचना आयोग व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल 'राजस्थान रेडक्रास सोसायटी' व 'पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र- उदयपुर' का अध्यक्ष होता है।

- लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

### **2. विधायी शक्तियां -**

- अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधानपरिषद् तीनों शामिल होते हैं अतः राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है।

- **अनुच्छेद 171** के तहत जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहाँ पर उच्च सदन (विधानपरिषद्) में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और समाजसेवा क्षेत्र के सामान्य जानकार या विशेषज्ञ हो।

- **अनुच्छेद 174** के तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विघटित कर सकता है।
- **अनुच्छेद 176** के तहत राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित/ अभिभाषण कर सकता है। (विधानसभा के चुनाव पश्चात पहली बैठक तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को) राज्यपाल का यह अभिभाषण मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है।
- **अनुच्छेद 180** के तहत राज्यपाल द्वारा जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है।
- **अनुच्छेद 192** के तहत राज्यपाल विधानमंडल के किसी सदस्य को चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर अयोग्य घोषित कर सकता है लेकिन इस संदर्भ में राज्यपाल भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करेंगे।
- **अनुच्छेद 200** के तहत राज्यपाल राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति देने, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है (धन विधेयक के अलावा) या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।
- **NOTE-** राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उसपर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है।

- किसी भी विधेयक पर संवैधानिक उपबन्ध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किन्तु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया हो, तब यदि राज्यपाल अनुमति देता है, तो वह अधिनियम अधिमान्य नहीं होगा।

**९. किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबन्ध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किन्तु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया: अब**

- (1) जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अधिमान्य नहीं होगा।
  - (2) राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इंकार कर सकता है।
  - (3) राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेज देगा।
  - (4) यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबन्धों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा।
- उत्तर - (1)

- राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर पुनर्विचार के लिए विधान मंडल को लौटा दे तो ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस पर

पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा किन्तु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है।

### (अनुच्छेद 201)

- राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दें। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा
- **अनुच्छेद 213** जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहता है। अध्यादेश उसी विषय पर जारी किया जा सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है। अध्यादेश का वही महत्व है जो राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अध्यादेश राज्यपाल का स्व- विवेक नहीं है तथा अध्यादेश भी विधि होने के कारण न्यायापालिका में चुनौती देने योग्य है। अध्यादेश दो तरीकों से समाप्त किया जा सकता है- (i) निर्धारित अवधि में विधान मंडल द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाने पर (ii) राज्यपाल से कभी भी वापस ले सकते हैं।
- **अनुच्छेद 333** के तहत राज्यपाल उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। (NOTE- 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इस प्रावधान को निरसित के दिया गया है।)

### 3. वित्तीय अधिकार -

- **अनुच्छेद 202** के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) प्रस्तुत करने के लिए कहता है।
- **अनुच्छेद 198** के तहत विधान सभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही पेश किया जा सकता है।
- राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता।
- राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन तथा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है (अनुच्छेद 243 1- पंचायतीराज, अनुच्छेद 243 4- नगर निकायों के लिए )
- **अनुच्छेद 267** के तहत राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है तथा इस निधि से पैसे निकालने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है।

### 4. न्यायिक अधिकार -

- **अनुच्छेद 161** राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत वह किसी दंड को क्षमा, उसका प्रबिलम्बन, विराम या परिहार कर सकता है या किसी दंडा देश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।

10.	जस्टिस के.डी. शर्मा (कार्यवाहक)	8 अगस्त, 1981 - 5 मार्च, 1982
11.	एअरचीफमार्शल ओ.पी. मेहरा	6 मार्च, 1982 - 4 जनवरी, 1985
12.	जस्टिसपी.के. बनर्जी (कार्यवाहक)	5 जनवरी, 1985 - 31 जनवरी, 1985
13.	एअरचीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा	1 फरवरी, 1985 - 3 नवम्बर, 1985
14.	जस्टिस डी.पी. गुप्ता (कार्यवाहक)	4 नवम्बर, 1985 - 19 नवम्बर, 1985
15.	जस्टिस जगदीश शरण वर्मा (कार्य.)	20 नवम्बर, 1985 - 14 अक्टूबर, 1987
16.	श्री वसन्तराव पाटिल	15 अक्टूबर, 1987 - 19 फरवरी, 1988
17.	श्री सुखदेव प्रसाद	20 फरवरी, 1988 - 2 फरवरी, 1989
18.	जस्टिस जगदीश शरण वर्मा (कार्य.)	3 फरवरी, 1989 - 19 फरवरी, 1989
19.	श्री सुख देव प्रसाद	20 फरवरी, 1989 - 2 फरवरी, 1990
20.	श्री मिला पचंद जैन (कार्यवाहक)	3 फरवरी, 1990 - 13 फरवरी, 1990
21.	प्रो. देवीप्रसाद चटोपाध्याय	14 फरवरी, 1990 - 25 अगस्त, 1991
22.	डॉ स्वरूप सिंह (कार्यवाहक)	26 अगस्त, 1991 -4 फरवरी, 1993
23.	डॉ. एम. चेन्नारेड्डी	5 फरवरी, 1992 - 30 मई, 1993
24.	श्री धनिक लाल मंडल (कार्यवाहक)	31 मई, 1993 - 29 जून, 1993
25.	श्री बलि राम भगत	30 जून, 1993 - 30 अप्रैल, 1998
26.	सरदार दरबारा सिंह	1 मई, 1998 - 23 मई, 1998
27.	श्री एन.एल. टिबेरवाल (कार्यवाहक)	24 मई, 1998 - 15 जनवरी, 1999

28.	जस्टिस अंशुमान सिंह	16 जनवरी, 1999 - 13 मई, 2003
29.	श्री निर्मल चंद्र जैन	14 मई, 2003 - 13 जनवरी, 2004
30.	श्री कैलाश पति मिश्रा (कार्यवाहक)	22 सितम्बर, 2003 - 13 जनवरी, 2004
31.	श्री मदनलाल खुराना	14 जनवरी, 2004 - 31 अक्तूबर, 2004
32.	श्री टी.वी. राजेश्वर (कार्यवाहक)	1 नवम्बर, 2004 - 7 नवम्बर, 2004
33.	श्री मति प्रतिभा पाटिल	8 नवम्बर, 2004 - 23 जून, 2007
34.	डॉ ए. आर. किदवई (कार्यवाहक)	23 जून, 2007 - 5 सितम्बर, 2007
35.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	6 सितम्बर, 2007 - 9 जुलाई, 2009
36.	श्री रामेश्वर ठाकुर (कार्यवाहक)	10 जुलाई, 2009 - 22 जुलाई, 2009
37.	श्री शिलेन्द्र कुमार सिंह	23 जुलाई, 2009 - 24 जनवरी, 2010
38.	श्री मती प्रभाराव (कार्यवाहक)	03 दिसम्बर, 2009 - 24 जनवरी, 2010
39.	श्रीमती प्रभाराव	25 जनवरी, 2010 - 26 अप्रैल, 2010
40.	श्री शिवराज पाटिल (कार्यवाहक)	28 अप्रैल, 2010 - 11 मई, 2012
41.	श्रीमती मापोंट आलवा	12 मई, 2012 - 7 अगस्त, 2014
42.	श्री रामनाईक (कार्यवाहक)	8 अगस्त, 2014 - 3 सितम्बर, 2014
43.	श्री कल्याणसिंह	8 सितम्बर, 2014 - 8 सितम्बर, 2019
44.	श्री कलराज मिश्र	9 सितम्बर, 2019 से 22 जुलाई 2024
45.	श्री. हरिभाऊ किसनराव बागडे	31 जुलाई 2024 से लगातार ....

समय यह राजस्थान की विधानसभा के सदस्य ना होकर , राज्यसभा सांसद थे , बाद में कोटा की छबड़ा सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बने ।

- 4 मार्च 1990 को उन्हें दूसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला । 15 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या प्रकरण के कारण उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया।
- वर्ष 1993 में एक बार फिर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और 1 दिसम्बर, 1998 तक इस पद पर अपनी सेवाएं दीं।
- भैरोसिंह शेखावत तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे ।
- मुख्यमंत्री बनने से पूर्व राज्यसभा सांसद व विधायक भी रहे।
- राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने।
- राजस्थान में तीसरा ( वर्ष 1980 ) व चौथा ( वर्ष 1992 ) राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा ।
- यह मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी मंत्रिपरिषद् में मंत्री नहीं रहे ।
- यह तीन बार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे ।

### अशोक गहलोत

- 1 दिसम्बर, 1998 को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली ।
- 13 दिसम्बर, 2008 को उन्हें दूसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला ।
- वर्तमान (वर्ष 2018 से) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद के अनुसार 22वें तथा व्यक्ति के अनुसार 11वें निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं । यदि मनोनीत को भी शामिल करे तो पद के अनुसार 25वें तथा व्यक्ति के अनुसार 13वें मुख्यमंत्री हैं ।
- यह वर्तमान में जोधपुर की सरदारपुरा सीट से निर्वाचित हुए हैं ।
- अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनके कार्यकाल में दो उप-मुख्यमंत्री रहे ( 1 ) बनवारी लाल बैरवा ( 2 ) कमला बेनीवाल

### उपमुख्यमंत्री

यह एक गैर - संवैधानिक पद है । यह एक परम्परा के तौर पर किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सृजित किया जाता है ।

उपमुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री	वर्ष
टीकाराम पालीवाल	जयनारायण व्यास	1952-1954
हरिशंकर भाभड़ा	भैरोसिंह शेखावत	1994-1998
बनवारी लाल बैरवा	अशोक गहलोत	2003
कमला बेनीवाल	अशोक गहलोत	2003
सचिन पायलट	अशोक गहलोत	2018
श्रीमती दिया कुमारी	भजनलाल शर्मा	2023

### वसुंधरा राजे

- वसुंधरा राजे 8 दिसम्बर, 2003 को राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी ।
- इसके बाद 13 दिसम्बर, 2013 को उन्हें दूसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला ।
- यह दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही यह पांच बार विधायक व 5 बार लोकसभा सांसद बनी।
- श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला हैं ।
- वसुंधरा राजे राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही हैं।

**NOTE-** राजस्थान के तीन ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष / प्रतिपक्ष के नेता भी रहे :- ( 1 ) भैरोसिंह शेखावत ( तीन बार ) ( 2 ) हरिदेव जोशी ( एक बार ) ( 3 ) वसुंधरा राजे ( एक बार )

Q. निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं । (RAS. PRE. 2018)

- (A) हरिदेव जोशी  
(B) शिवचरण माथुर  
(C) अशोक गहलोत  
(D) वसुंधरा राजे

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से, कीजिए:

- कूट:  
(1) (A), (B) और (C)  
(2) (B) और (C)  
(3) (C) और (D)  
(4) (A) और (D)  
उत्तर - (2)

### राजस्थान के मुख्यमंत्री

क्र.	मुख्यमंत्री	कार्यकाल
1.	श्री हीरालाल शास्त्री	07.04.1949 - 05.01.1951
2.	श्री सी.एस. वेंकटाचार्य	06.01.1951 - 25.04.1951
3.	श्री जयनारायण व्यास	26.04.1951 - 03.03.1952
4.	श्री टीकाराम पालीवाल	03.03.1952 - 31.10.1952
5.	श्री जयनारायण व्यास	01.11.1952 - 12.11.1954

6.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	13.11.1954 - 11.04.1957
7.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	11.04.1957 - 11.03.1962
8.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	12.03.1962 - 13.03.1967
9.	राष्ट्रपति शासन	13.03.1967- 26.04.1967
10.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	26.04.1967- 09.07.1971
11.	श्री बरकतुल्लाखां	09.07.1971- 11.10.1973
12.	श्री हरि देव जोशी	11.10.1973 - 29.04.1977
13.	राष्ट्रपति शासन	30.04.1977- 21.06.1977
14.	श्री भैरोसिंह शेखावत	22.06.1977 - 16.02.1980
15.	राष्ट्रपति शासन	17.02.1980 - 05.06.1980
16.	श्री जगन्नाथ पहाडिया	06.06.1980- 13.07.1981
17.	श्री शिवचरण माथुर	14.07.1981- 23.02.1985
18.	श्री हीरालाल देवपुरा	23.02.1985 - 10.03.1985
19.	श्री हरि देव जोशी	10.03.1985 - 20.01.1988
20.	श्री शिव चरण माथुर	20.01.1988- 04.12.1989
21.	श्री हरि देव जोशी	04.12.1989- 04.03.1990
22.	श्री भैरों सिंह शेखावत	04.03.1990 - 15.12.1992
23.	राष्ट्रपति शासन	15.12.1992 - 03.12.1993

24.	श्री भैरोसिंह शेखावत	04.12.1993 - 01.12.1998
25.	श्री अशोक गहलोत	01.12.1998 - 08.12.2003
26.	श्रीमती वसुन्धरा राजे	08.12.2003- 13.12.2008
27.	श्री अशोक गहलोत	13.12.2008 - 13.12.2013
28.	श्रीमती वसुन्धरा राजे	13.12.2013 - 17.12.2018
29.	श्री अशोक गहलोत	17.12.2018 - 15.12.2023
30	भजनलाल शर्मा	15.12.2023 से लगातार ....

**प्रश्न:- 25 मार्च, 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाया गया था ?**

**(1) जय नारायण व्यास (2) गोकुल लाल असावा  
(3) गोकुल भाई भट्ट (4) हीरालाल शास्त्री**  
**उत्तर- (2)**

**महत्वपूर्ण तथ्य-**

- राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री- **हीरालाल शास्त्री**
- राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री- **टीकाराम पालीवाल**
- राजस्थान के प्रथम उपमुख्यमंत्री- **टीकाराम पालीवाल**
- एकमात्र व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे- **टीकाराम पालीवाल**
- राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि मनोनीत व निर्वाचित हुए- **जयनारायण व्यास**
- राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री- **मोहनलाल सुखाड़िया**
- राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री- **हीरालाल देवपुरा**
- राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री- **मोहनलाल सुखाड़िया**
- राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई- **बरकतुल्ला खां**
- राजस्थान के प्रथम मुस्लिम ( अल्पसंख्यक ) मुख्यमंत्री- **बरकतुल्ला खां**
- राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री (अनुसूचित जाति के)- **जगन्नाथ पहाडिया**
- राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने - **भैरोसिंह शेखावत**

**संस्थाएँ**

**अध्याय - 7**

**राजस्थान लोक सेवा आयोग**

- वर्ष 1923 में ली कमिशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर राज्यों में लोक सेवा आयोग हैं। संविधान के भाग -14, अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना नियुक्ति कार्यकाल, योग्यता सेवा शर्तों शक्तियों का उल्लेख किया गया है।
- भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोगों का गठन हुआ।
- राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांत- जोधपुर (वर्ष 1939), जयपुर (1940 में), बीकानेर (वर्ष 1946 में) ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे।
- रियासतों के एकीकरण के बाद गठित राजस्थान राज्य के तत्कालीन प्रबंधन ने 16 अगस्त, 1949 को राजस्थान के तात्कालिक राजप्रमुख सवाई मानसिंह- II द्वारा एक अध्यादेश के अधीन राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की जो 20 अगस्त, 1949 को प्रभावी हुआ अर्थात् राजपत्र में प्रकाशित हुआ।
- अध्यादेश के द्वारा राज्य में कार्यरत अन्य लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा आयोग की तरह कार्यरत अन्य संस्थाएँ बंद कर दी गयी।
- अध्यादेश में आयोग के गठन, कर्मचारी गण एवं आयोग के कार्यों संबंधित नियम भी तय किये गये।
- अतः इसी दिन मूलतः राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।
- जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने अपना कार्य प्रारम्भ 22 दिसम्बर, 1949 को किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन के समय मुख्यालय जयपुर था लेकिन पी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 01 नवम्बर, 1956 को इसका मुख्यालय अजमेर स्थानान्तरित कर दिया।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख भाग- 14, अनुच्छेद 315-323 में मिलता है।
- यह एक परामर्शकारी / सलाहकारी निकाय है। यह निकाय राज्य सरकार को परामर्श देती है लेकिन राज्य सरकार इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।
- यदि राज्य सरकार RPSC की सलाह नहीं मानती तो राज्य सरकार को विधानमण्डल में इसका कारण बताना होता है।
- आरंभिक चरण में आयोग में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य थे।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष (कार्यवाहक) राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस. के. घोष को नियुक्त किया गया।

- तत्पश्चात् श्री देवी शंकर तिवारी एवं श्री एन.आर. चन्दोरकर की नियुक्ति सदस्यों के रूप में एवं संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की गयी।
- लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल मनाया जाता है।

**अनुच्छेद 315** राज्य लोक सेवा आयोग के गठन अनुच्छेद 315 (1) प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग (PSC) होगा, जिसका गठन राज्यपाल द्वारा गठन के लिए विधि राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई जायेगी।

अनुच्छेद 315 (2) संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) का प्रावधान दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद करती है, संबंधित राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने पर।

**अनुच्छेद 316** अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है।

**NOTE-संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है**

**योग्यता :-** RPSC के आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष की प्रशासनिक सेवा का अनुभव हो तथा आधे सदस्य सामान्यतः राजनैतिक, शिक्षा, कानून, समाज सेवा क्षेत्र से होते हैं।

**NOTE-आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता के संबंध में संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।**

**NOTE- यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो उस स्थिति में आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य जिसे राज्यपाल नियुक्त करें, उन कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक नये अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो जाये अर्थात् राज्य लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है।**

**NOTE- संयुक्त लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।**

**प्रश्न:- सही विकल्प चुनें :**

दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है ?

- (A) सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा
- (B) भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
- (C) सभी सम्बंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति द्वारा
- (D) सम्बंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उत्तर - (B)

पदावधि या कार्यकाल- RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल पदग्रहण से 6 वर्ष का कार्यकाल व 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु इन दोनों में से भी पहले हो। (4) वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई)

लोक सेवा आयोग के सदस्य कार्यकाल समाप्ति के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। त्यागपत्र RPSC के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं।

### अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाना

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का कारण कदाचार का आरोप लगने पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच (अनुच्छेद 145) करने के पश्चात आरोप सिद्ध होने पर RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा।

**NOTE-** RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों को जांच के दौरान राज्यपाल निलम्बित कर सकता है। कदाचार के अलावा निम्नलिखित परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकता है। (i) दिवालिया घोषित हो जाए। (ii) मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम हो। (iii) नैतिक अधमता का दोषी पाया जाए। (iv) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है अर्थात् लाभ का पद स्वीकार कर लें। (v) अपने कर्तव्य से बाहर किसी और सेवा में नियोजित हो जाये।

### अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में

राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

RPSC की स्थापना के समय एक अध्यक्ष व 2 सदस्य थे लेकिन वर्ष 2011 में बढ़ाकर 1 अध्यक्ष व 7 सदस्य (कुल 8) कर दिये अर्थात् वर्तमान में RPSC में अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य हैं। RPSC में सदस्यों की संख्या राज्यपाल नियम बनाकर निश्चित करता है।

### अनुच्छेद 319 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण करने के संबंध में

राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अथवा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या

किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अथवा उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा।

### अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य

- (1) राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन तथा योग्य उम्मीदवारों का चयन।
- (2) लोक सेवकों के पदोन्नति हेतु सिफारिश
- (3) अनुशासनात्मक कार्यवाही पर परामर्श देना।
- (4) एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानान्तरण होने पर परामर्श देने का कार्य।
- (5) लोक सेवकों द्वारा किए गए कार्यों के दावों के संबंध में।
- (6) पेंशन के संबंध में क्षतिपूर्ति के मामलों में परामर्श।

### अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति

राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है।

### अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय

राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन - भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।

**अनुच्छेद 323 राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) राज्यपाल को सौंपता है। यह प्रतिवेदन शोध संभाग द्वारा तैयार किया जाता है।**

**प्रश्न:- राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है - (RAS. PRE- 2021)**

- (1) राज्यपाल के समक्ष
  - (2) विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष
  - (3) राष्ट्रपति के समक्ष
  - (4) मुख्य सचिव के समक्ष
- उत्तर - (1)

**NOTE-** राजस्थान लोक सेवा आयोग को 6 संभागों में बांटा गया है: (1) प्रशासनिक संभाग

- (2) भर्ती संभाग (3) परीक्षा संभाग (4) लेखा संभाग
- (5) विधि संभाग (6) शोध संभाग

### महत्वपूर्ण तथ्य

RPSC के प्रथम अध्यक्ष (कार्यवाहक) - एस. के. घोष  
RPSC के वर्तमान (फरवरी, 2022 से) अध्यक्ष- संजय



## अभ्यास प्रश्न

1. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?

- (अ) इन्दुजीत खन्ना  
(ब) राम लुभाया  
(स) अमर सिंह राठौड़  
(द) एन. आर. भसीन

**Ans.:- (स) अमर सिंह राठौड़**

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की किस धारा में प्रत्येक राज्य में एक मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है?

- (अ) 13 क (ब) 13 स  
(स) 12 क (द) 12 स

**Ans.:- (अ) 13 क**

3. पंचायतों के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के प्रबंधन संबंधी अधिकार संविधान द्वारा किसे प्रदान किये गये हैं?

- (अ) पंचायत समिति (ब) राज्य निर्वाचन आयोग  
(स) राज्य मंत्रिमंडल (द) उक्त कोई नहीं

**Ans.:- (ब) निर्वाचन आयोग**

4. किस संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के समस्त नगर निकायों में होने वाले निर्वाचनों के प्रबंधन का वर्णन है?

- (अ) 74वें (ब) 72वें  
(स) 71वें (द) 73वें

**Ans.:- (अ)**

## अध्याय - 11

### राज्य सूचना आयोग

- विश्व में सर्वप्रथम 1766 में स्वीडन में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ।
  - भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता 'अरुणा रॉय' को माना जाता है। इन्होंने 1995-96 में मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) बनाकर चाँदगोट, ब्यावर (अजमेर) से सूचना का अधिकार हेतु आन्दोलन चलाया। सूचना का अधिकार दिलाने में अरुणा रॉय के मजदूर किसान शक्ति संगठन व अरविंद केजरीवाल के 'परिवर्तन संगठन' की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अतः इन दोनों को एशिया के नोबेल पुरस्कार 'रमन मैग्सेसे' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
  - भारत में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम 1997 में तमिलनाडु व गोवा में लागू किया गया।
  - राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 2000 में अशोक गहलोत सरकार के समय सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 लाया गया जो 26 जनवरी, 2001 से प्रभावी हुआ।
  - तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय 15 जून, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम को तात्कालिक राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा मंजूरी प्रदान की गई जो 12 अक्टूबर, 2005 से सम्पूर्ण देश में लागू हुआ।
  - राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 13 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ।
  - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया।
  - आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और चार राज्य सूचना आयुक्त के पद सृजित हैं।
  - राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13 अप्रैल, 2006 को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है लेकिन 18 अप्रैल, 2006 से लागू हुआ।
- श्री टी. श्रीनिवासन RIC के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे।

**Q. राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? (RAS. pre. 2016)**

- (A) 18 अप्रैल 2008 (B) 18 अप्रैल 2006  
(C) 18 अप्रैल 2007 (D) 18 अप्रैल 2005

**उत्तर - (B)**

- राज्य के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी. कौरानी को राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई।
- आयोग एक वैधानिक निकाय है जो पूर्णतया स्वायत्तशासी है तथा जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है।

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -  (Proof Video Link)

**RAS PRE. 2021 - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न, 150 में से)**

**RAS Pre 2023 - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न, 150 में से)**

**UP Police Constable 2024 - <http://surl.li/rbfyn> (98 प्रश्न, 150 में से)**

**Rajasthan CET Gradu. Level - <https://youtu.be/gPqDNlc6UR0>**

**Rajasthan CET 12th Level - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>**

**RPSC EO / RO - <https://youtu.be/b9PKj14nSxE>**

**VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>**

**Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>**

**PTI 3<sup>rd</sup> grade - [https://www.youtube.com/watch?v=iA\\_MemKKgEk&t=5s](https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s)**

**SSC GD - 2021 - <https://youtu.be/2gzzfJyt6vl>**

<b>EXAM (परीक्षा)</b>	<b>DATE</b>	<b>हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या</b>
<b>MPPSC Prelims 2023</b>	<b>17 दिसम्बर</b>	<b>63 प्रश्न (100 में से)</b>
<b>RAS PRE. 2021</b>	<b>27 अक्टूबर</b>	<b>74 प्रश्न आये</b>
<b>RAS Mains 2021</b>	<b>October 2021</b>	<b>52% प्रश्न आये</b>

whatsapp - <https://wa.link/klbi9k> 1 web.- <https://bit.ly/leo-ro-notes>





<b>RAS Pre. 2023</b>	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
<b>SSC GD 2021</b>	16 नवम्बर	68 (100 में से)
<b>SSC GD 2021</b>	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
<b>RPSC EO/RO</b>	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	14 सितम्बर	119 (200 में से)
<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	15 सितम्बर	126 (200 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्टूबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	103 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	24 अक्टूबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	91 (150 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसम्बर (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	59 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसम्बर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	61 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	28 दिसम्बर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	57 (100 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	14 नवम्बर 2021 1 <sup>st</sup> शिफ्ट	91 (160 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	21 नवम्बर 2021 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	89 (160 में से)
<b>Raj. CET Graduation level</b>	07 January 2023 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	96 (150 में से)
<b>Raj. CET 12<sup>th</sup> level</b>	04 February 2023 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	98 (150 में से)
<b>UP Police Constable</b>	17 February 2024 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	98 (150 में से)

**& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.**





whatsapp - <https://wa.link/klbi9k> 2 web.- <https://bit.ly/leo-ro-notes>




# Our Selected Students

Approx. 483+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	<b>Mohan Sharma</b> S/O Kallu Ram	Railway Group - d	11419512037002 2	PratapNag ar Jaipur
	<b>Mahaveer singh</b>	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
	<b>Sonu Kumar Prajapati</b> S/O Hammer shing prajapati	SSC CHSL tier- 1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	<b>Mahender Singh</b>	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumang arh
	<b>Lal singh</b>	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumang arh
N.A	<b>Mangilal Siyag</b>	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

	<b>MONU S/O KAMTA PRASAD</b>	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	<b>Mukesh ji</b>	RAS Pre	1562775	newai tonk
	<b>Govind Singh S/O Sajjan Singh</b>	RAS	1698443	UDAIPUR
	<b>Govinda Jangir</b>	RAS	1231450	Hanumang arh
N.A	<b>Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma</b>	RAS	N.A.	Churu
	<b>DEEPAK SINGH</b>	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawa la
N.A	<b>LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL</b>	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	<b>Ramchandra Pediwal</b>	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

	<b>Monika jangir</b>	RAS	N.A.	jhunjhunu
	<b>Mahaveer</b>	RAS	1616428	village- gudaram singh, teshil-sojat
N.A.	<b>OM PARKSH</b>	RAS	N.A.	Teshil- mundwa Dis- Nagaur
N.A.	<b>Sikha Yadav</b>	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	<b>Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel</b>	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A.	<b>mukesh kumar bairwa s/o ram avtar</b>	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUN U
N.A.	<b>Rinku</b>	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	<b>Rupnarayan Gurjar</b>	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	<b>Govind</b>	SSB	4612039613	jhalawad

	<b>Jagdish Jogi</b>	EO/RO Marks)	(84 N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	<b>Vidhya dadhich</b>	RAS Pre.	1158256	kota
	<b>Sanjay</b>	Haryana PCS	96379	Jind (Haryana)

And many others.....

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें



WhatsApp करें - <https://wa.link/klbi9k>

Online Order करें - <https://bit.ly/leo-ro-notes>

Call करें - **9887809083**

whatsapp - <https://wa.link/klbi9k> 6 web.- <https://bit.ly/leo-ro-notes>